राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मोहन लाल बनाम अशोक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/12/2025	7/0/2024 प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पर आज यह पत्रावली कार्यालय से तलब होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 उपस्थित। रेस्पो. संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी के साथ अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ मय प्रार्थना पत्र संख्या पुराना 77/2024 एवं नया प्रार्थना पत्र संख्या 137/2025 निर्णय दिनांक 22/12/2025 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22/12/2025 को अदम पैरवी अदम हाजरी में अन्तिम निस्तारण हो चूका है ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नही रह गयी है। अत: अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमाई जावे। हमने प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ एव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 22/12/2025 का अवलोकन किया गया। जिससे रेस्पो. की कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	